

आहरण एवं वितरण अधिकारी/

3604001970301

उप निदेशक(प०),

3604001980301

पंचायतीराज निदेशालय,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृपया राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये वर्ष 2022-23 में सामान्य समनुदेशन हेतु लेखा अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु० 7200.00 करोड़ में से रु० 3000.00 करोड़ त्रिस्तरीय पंचायतों को जिला पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों/ग्राम पंचायतों को जारी/आवंटित किया जा चुका है। अब शासनादेश संख्या-26/2022/बी-2-261/007-10-14002-002-1-2021 दिनांक 18.10.2022 द्वारा माह अक्टूबर, 2022 के लिये रु. 600.00 करोड़ का आवंटन किया जा रहा है। उक्त आवंटन के पश्चात् निदेशालय स्तर पर आवंटित धनराशि रु० 4200.00 करोड़ हो जायेगी। उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित की जा रही है—
1-आवंटित की जा रही धनराशि निदेशक पंचायतीराज उ०प्र० के निवर्तन पर इस शर्त पर रखी जा रही है कि धनराशि का जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों, ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के मध्य आवंटन पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार किया जायेगा।

2- पंचायतीराज संस्थाओं हेतु आवंटित की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा में निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

3-कोषागार से धनराशि आहरित कर सीधे सम्बन्धित पंचायतीराज संस्थाओं के खाते में जमा की जायेगी।

4-योजना प्रभारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों का बैंक खाता तथा आई०एफ०एस०सी० कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।

5-धनराशि के आहरण के एक सप्ताह के भीतर आहरण की सूचना, बाउचर संख्या दिनांक सहित पंचायतीराज अनुभाग-3 उ०प्र० शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

6-आवंटित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिस प्रयोजन के लिये धनराशि आवंटित की रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

7-योजना प्रभारी आवंटित धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा उसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे।

उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की अनुदान सं०-61 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाशीर्षों के नामे डाला जायेगा—

(धनराशि करोड़ रु० में)

| क्र.सं. | पंचायत | लेखाशीर्ष | धनराशि |
|---------|-------------------------------|--|--------|
| 1 | जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत | 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-01-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन | 90.00 |

| | | | |
|------------|--|---|---------------|
| 2 | ब्लाक पंचायत / मध्यवर्ती स्तरीय पंचायत | 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-197-ब्लाक पंचायतों / मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-01-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन | 90.00 |
| 3 | ग्राम पंचायत | 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-01-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन | 420.00 |
| योग | | | 600.00 |

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ सं०-134 पर अंकित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(अनुज कुमार झा)

निदेशक,
पंचायतीराज उ०प्र०।

संख्या-1/शा०/38 / 1 / 2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवेक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2-विशेष सचिव, वित्त संसाधन(वित्त आयोग) अनुभाग, उ०प्र० शासन।
- 3-विशेष सचिव, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक 18.10.2022 के क्रम में।
- 4-निदेशक पंचायतीराज (लेखा) दसवॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 5-संयुक्त निदेशक, प्रिट लोहिया भवन, अलीगंज लखनऊ।
- 6-समस्त जिला पंचायतीराज अधिकारी, उ०प्र०।
- 7-समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ०प्र०।
- 8-समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं०), उ०प्र०।
- 9-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 10-प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ०प्र० प्रयागराज।
- 11-वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1 दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ०प्र० प्रयागराज-211001
- 12-उपनिदेशक (पं०)/योजना प्रभारी, राज्य वित्त आयोग, पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित है कि तत्काल पंचायतीराज संस्थाओं के खातों में धनराशि हस्तान्तरण कराना सुनिश्चित करें।
- 13-उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, लोहिया भवन, अलीगंज लखनऊ।
- 14-एस०पी०एम०यू०, पंचायतीराज निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज उ०प्र०।

Allotment Grid Report


वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-31/10/2022

प्रेषण संख्या:- 1-sha-38-2022
आवंटन आदेश संख्या:- 007-1-28-2022
अनुदान संख्या:- 61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 3604 - स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
198 - ग्राम पंचायतों को सहायता
03 -
01 - सामान्य समनुदेशन

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 28-समनुदेशन | योग |
|-------|---|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय | वर्तमान प्रगामी | 4200000000 29400000000 | 4200000000 29400000000 |
| | योग | वर्तमान प्रगामी | 4200000000 29400000000 | 4200000000 29400000000 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार अरब बीस करोड़
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया उन्तीस अरब चालीस करोड़


(कृष्ण कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-31/10/2022

प्रेषण संख्या:- 1-sha-38-2022
आवंटन आदेश संख्या:- 007-1-28-2022
अनुदान संख्या:- 61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 3604 - स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
197 - ब्लाक पंचायतों / मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता
03 -
01 - सामान्य समनुदेशन

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 28-समनुदेशन | योग |
|-------|---|---------|-------------|------------|
| 1 | जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय | वर्तमान | 900000000 | 900000000 |
| | | प्रगामी | 6300000000 | 6300000000 |
| | योग | वर्तमान | 900000000 | 900000000 |
| | | प्रगामी | 6300000000 | 6300000000 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नब्बे करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छः अरब तीस करोड़



(कृष्ण कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report


वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-31/10/2022

प्रेषण संख्या:- 1-sha-38-2022
आवंटन आदेश संख्या:- 007-1-28-2022
अनुदान संख्या:- 61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 3604 - स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
196 - जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता
03 -
01 - सामान्य समनुदेशन

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 28-समनुदेशन | योग |
|-------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय | वर्तमान प्रगामी | 900000000 6300000000 | 900000000 6300000000 |
| | योग | वर्तमान प्रगामी | 900000000 6300000000 | 900000000 6300000000 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नब्बे करोड़
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छः अरब तीस करोड़



(कृष्ण कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी